न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 02/2025
3. उनवान : सरकार जरिये श्री नंदकिशोर कुमावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

1. श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री सुआ लाल यादव (विक्रेता) (जाति अहीर)
   मैसर्स – रिद्धी सिद्धि किराना स्टोर, अंबेडकर कॉलोनी व रोडवेज स्टैंड के पास, बासडी रोड, किसनगढ़ रेनवाल, थाना किशनगढ रेनवाल, जिला–जयपुर, पिनकोड 303603 निवासी अहीरों की ढाणी, वार्ड नंबर 17 पचार रोड, किशनगढ़ रेनवाल, थाना– किशनगढ़ रेनवाल, जिला– जयपुर, पिनकोड 303603. मोबाइल नंबर 8003321088
2. श्रीमति मंजू देवी धर्मपत्नी अजय कुमार यादव (फर्म की लाईसेंस होल्डर मालिक) (जाति अहीर)
   मैसर्स – रिद्धी सिद्धि किराणा स्टोर, अंबेडकर कॉलोनी व रोडवेज स्टैंड के पास, बासडी रोड, किशनगढ़ रेनवाल, थाना किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर, पिनकोड 303603 निवासी – मोहनपुरा बालाजी के पास, वार्ड नंबर 10, किशनगड रेनवाल, थाना–किशनगढ़ रेनवाल, जिला– जयपुर–303603. मोबाइल नंबर 8003321088

–अभियुक्तगण

4. निर्णय दिनांक : 16-4-25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसंद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51, 54 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक नंदकिशोर कुमावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय दिनाक 22–04–2024 को समय दोपहर 5.00 पी.एम. मैसर्स मैसर्स–रिद्धी सिद्धि किराणा स्टोर, अंबेडकर कॉलोनी व रोडवेज स्टैंड के पास, बासडी रोड, किशनगढ रेनवाल, थाना – किशनगढ रेनवाल, जिला–जयपुर, पिनकोड 303603 के यहां पहुंचे। वहां पर अजय कुमार यादव पुत्र श्री सुवा लाल यादव उपस्थित थे तथा पूछने पर स्वयं को इस फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। अजय कुमार यादव को परिवादी खाद्य

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अजय कुमार यादव से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान घी (कृष्णा ब्रांड) के 15 किग्रा. क्षमता के पांच कंटेनर्स (पीपे) रखे हुये पाये गए। ये सभी टिन एक ही बैच नंबर के हैं तथा इनकी निर्माण तिथि इत्यादि एक समान मिली हैं। इन सभी टिन में मौजूद घी की गुणवत्ता एवं शुद्धता के परीक्षण हेतु इनमें से एक सील पैक टिन की मूल सील को सुरक्षित रखते हुये, टिन के दूसरे कोने में छेद करके सफाई से लगभग एक किलोग्राम घी को साफ बर्तन में निकाला गया तथा इसको विक्रेता अजय कुमार यादव से खरीद कर उसकी कीमत रुपए 545/— विक्रेता श्री अजय कुमार यादव को नगद प्रदान करके रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान द्वितीय गवाह अवधेश गुप्ता (FSO, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर—द्वितीय) एवं प्रथम गवाह श्री रामकिशन यादव के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अजय कुमार यादव ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5ए की एक प्रति विक्रेता अजय कुमार यादव को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम थी (कृष्णा ब्रांड) को एकरूप (homogeneous mixture) करके, विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली, सुखी एवं साफ प्लास्टिक की चौड़े मुंह की बोतलें दिखाकर, उक्त खरीदशुदा 1 किलोग्राम घी (कृष्णा ब्रांड) को प्रत्येक बोतल में बराबर 250 ग्राम डाला एवं प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बंद किया गया तथा लेवल तैयार कर प्रत्येक बोतल कर चिपकाए और लेबलों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर—द्वितीय द्वारा दिए कोड एवं क्रमांक AN4036 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए तथा फ़र्म के विक्रेता व दोनों गवाहों के हस्ताक्षर करवाए। फिर चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर—द्वितीय की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AN4036 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर, नियमानुमार ब्रास सील अंकित करते हुये चपड़ी से सील किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाए कि पेपर स्लीप व रैपर दोनों पर अंकन आए। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किए तया चारों नमूनों को अपने कब्ज़े में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त घी के शेष बचे हुये माल (74 किलोग्राम कृष्णा ब्रांड घी) को एफएसएस एक्ट 2006 के नियमानुसार उक्त फर्म के अंदर ही एक कोने में रखवाकर सीज किया तथा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर—द्वितीय के अग्रिम आदेश तक उक्त फर्म/विक्रेता की सुरक्षा/संरक्षा में रखवाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फॉर्म नं. 6 की सात प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना मील लगाई जिसने नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग में फॉर्म नं. 6 की एक प्रति की आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर की जमा करा कर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म नंबर 6 की प्रति अलग ने एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अतिरिक्त ... अतिरिक्त जिला ...

अधिकारी, जयपुर–द्वितीय की जमा कराकर प्रत्येक भाग की रसीदें प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/482 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या–एलएस/1475/एक्ट/2024/1637 दिनांक 30.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते विक्री किया गया खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्रांड) सब–स्टैंडर्ड तथा Containing extraneous matter (Foreign fat) Under Section (3)(1)(प) होना पाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार उक्त घी के नमूने में उपस्थित वसा की जो संरचना पाई गई है, वह दूध/डेयरी उत्पाद में पाई जाने वाली मूल वसा की रासायनिक संरचना से अलग है, अर्थात इसमें अन्य वसा की मिलावट की गई है। जांच रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि तत्कालीन अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर– द्वितीय के कार्यालय द्वारा भारतीय डाक के रजिस्टर्ड पत्र पावती संख्या RR382311760IN दिनांक 06.05.2024 द्वारा संबन्धित अभियुक्त खाद्य कारोबारी को भेजकर दोबारा जांच की अपील का समय दिया गया, लेकिन इस दौरान खाद्य कारोबारी द्वारा कोई अपील अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर– द्वितीय के कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई, जो दर्शाता है कि खाद्य कारोबारी जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त फर्म पर कार्यरत विक्रेता अजय कुमार यादव को फर्म के पते पर दिनांक 04.07.2024 को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर फर्म के कुछ आवश्यक कागजात की सत्यापित प्रतियां मांगी गई थी। विक्रेता द्वारा फर्म की लाईसेंस होल्डर/मालकिन श्रीमत्ति मंजु देवी के आधार कार्ड की छायाप्रति भेजी गई। अभियुक्त फर्म के एफ.एस.एस.ए.आई. लाईसेंस होल्डर के रूप में तथा जी.एस.टी. के फॉर्म 06 (annexure B) में फर्म के प्रोपराइटर के रूप में श्रीमति मंजु देवी का नाम अंकित पाये जाने के कारण इनको इस न्याय निर्णयन आवेदन में सह–अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले की समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.02.2024 को प्रस्तुत की गई, जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय ने पत्र क्रमांक –एफ.एस.एस.ए./2025/241 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा सब–स्टैंडर्ड तथा Containing extraneous matter (Foreign fat) Under Section (3)(1)(प) युक्त घी (कृष्णा ब्रांड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया गया है जिनका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमशः धारा 51 एवं धारा 54 में निर्धारित है।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 09.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब एवं लिखित बहस पेश की जिसमे अंकित है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा हाल ही में उक्त दुकान संचालित की गई है तथा उक्त घी की खरीद उनके द्वारा कच्ची रसीद से की गई है। प्रार्थी को उक्त घी की गुणवता की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी की छोटी सी दुकान है, प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। इसी दुकान से प्रार्थी के परिवार का गुजारा होता है। जानकारी के अभाव में प्रार्थी से हुई गलती भविष्य में नहीं दोहराई जायेगी। उक्त प्रार्थना पत्र को ही जवाब एवं लिखित बहस मानते हुये प्रार्थीगण ने क्षमा करने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त [illegible] एवं
[illegible]
([illegible]) जयपुर

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या–एलएस/1475/एक्ट/2024/1637 दिनांक 30.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते बिक्री किया गया खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्रांड) सब–स्टैंडर्ड तथा Containing extraneous matter (Foreign fat) Under Section (3)(1)(प) होना पाया गया। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है जिनको खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमशः धारा 51 एवं धारा 54 में निर्धारित जुर्माना से दण्डित किया जावे।

हमने आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार की बहस व अप्रार्थीगण के जवाब/बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या–एलएस/1475/एक्ट/2024/1637 दिनांक 30.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते बिक्री किया गया खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्रांड) सब–स्टैंडर्ड तथा Containing extraneous matter (Foreign fat) Under Section (3)(1)(प) होना पाया गया। जिससे सुस्पष्ट है कि सब–स्टेण्डर्ड घी का क्रय करके विक्रय किया गया, जिसके लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्तगण द्वारा सब–स्टेण्डर्ड घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 54 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 51 व 54 के तहत दोनों अभियुक्तों पर पृथक–पृथक **5,000–5,000** रुपये शास्ति राशि आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.4.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय),जयपुर